

# हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)



हडको भवन, इंडिया हैबिटेड सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

टेलीफोन...: 011-24648160

वैबसाइट : [www.hudco.org.in](http://www.hudco.org.in) ई-मेल आईडी : [cswhudco@hudco.org](mailto:cswhudco@hudco.org)

सीआईएन : L74899DL1970GOI005276

## कंपनी की 55<sup>वीं</sup> वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना का परिशिष्ट

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) की 55<sup>वीं</sup> वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुलाने के लिए 22 अगस्त, 2025 की अधिसूचना का परिशिष्ट, जो सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे हडको भवन, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

हडको की 55<sup>वीं</sup> वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने के लिए 22 अगस्त, 2025 की अधिसूचना (एजीएम सूचना) में निम्नलिखित एजेंडा मद को एतद्वारा वापस लिया जाता है और इस परिशिष्ट से संलग्न व्याख्यात्मक वक्तव्य में बताए गए कारणों से एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के लिए नहीं लिया जाएगा:

### विशेष व्यवसाय:

#### 5. श्री सोलोमन अरोकियाराज (डीआईएन:06802660) को अंश-कालिक सरकारी निदेशक नियुक्त करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के, साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और किसी भी अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनर्अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हैं) और कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के साथ पठित, श्री सोलोमन अरोकियाराज (डीआईएन:06802660), जिन्हें भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 27 सितंबर, 2024 के आदेश द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के अंश-कालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में निदेशक मंडल द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अनुशंसा पर अंश-कालिक सरकारी निदेशक (अपर निदेशक) (29 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी) के रूप में नियुक्त किया गया, जो इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारण करेगा, जिसके संबंध में, कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उसकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, और इसके द्वारा कंपनी के अंश-कालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
हस्ता./-  
विकास गोयल  
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली,

दिनांक: 5 सितंबर, 2025

## टिप्पणियां

1. कंपनी के निदेशक मंडल की मंजूरी से, एजीएम नोटिस 23 अगस्त, 2025 को सदस्यों को भेज दिया गया। उपरोक्त एजीएम नोटिस में, एजेंडा मद संख्या 1 से 11 को एजीएम में निपटाए जाने का प्रस्ताव है और कंपनी सभी प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।

शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से या एजीएम में सूचित आधार पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि एजीएम नोटिस भेजने के बाद हुई किसी भी महत्वपूर्ण घटना को कंपनी के सभी शेयरधारकों के ध्यान में लाया जाए।

उपरोक्त एजीएम नोटिस के प्रकाशन के बाद, इस परिशिष्ट में बताए अनुसार महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण एजेंडा मद संख्या उक्त एजीएम नोटिस में निहित धारा 5 को वापस लेने की आवश्यकता है और अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि सोमवार, 8 सितंबर, 2025 से बदलकर मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 कर दी गई है।

2. हडको की 55<sup>वीं</sup> वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने के लिए 22 अगस्त, 2025 की सूचना का यह परिशिष्ट कंपनी के सदस्यों को प्रसारित एजीएम सूचना का एक अभिन्न अंग होगा और इसे एजीएम सूचना के साथ और इसके अनुक्रम में पढ़ा जाएगा।
3. कंपनी की 22 अगस्त, 2025 की 55<sup>वीं</sup> वार्षिक आम बैठक की सूचना से एजेंडा मद संख्या 5 पर विचार न करने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
4. कंपनी की वेबसाइट [www.hudco.org.in](http://www.hudco.org.in) पर देखी जा सकती है तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट क्रमशः बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त एजेंसी) की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) से भी इसे देखा जा सकता है।
5. इस परिशिष्ट में उल्लिखित को छोड़कर अन्य सभी एजेंडा मदें, साथ ही 22 अगस्त, 2025 की वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना के व्याख्यात्मक विवरण, पहले से अधिसूचित मदों से अपरिवर्तित रहेंगी।
6. तदनुसार, सभी संबंधित सदस्यों, डिबेंचर/बांड धारकों, डिबेंचर ट्रस्टियों, स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरीज, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों, ई-वोटिंग के लिए नियुक्त एजेंसी, नियामकों और अन्य सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस के एजेंडा मद संख्या 5 को वापस लेने, रिकॉर्ड तिथि में परिवर्तन और परिणामी परिवर्तन(ओं) पर ध्यान दें।
7. वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना के इस परिशिष्ट में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज वार्षिक सामान्य बैठक के जारी रहने के दौरान खुले और सुलभ रहेंगे।
8. कंपनी ने पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु रिकॉर्ड तिथि सोमवार, 8 सितंबर, 2025 निर्धारित की थी। स्टॉक एक्सचेंजों से अनुरोध प्राप्त होने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सोमवार, 8 सितंबर, 2025 को समाशोधन/निपटान अवकाश घोषित किए जाने के कारण, अंतिम लाभांश की रिकॉर्ड तिथि सोमवार, 8 सितंबर, 2025 से बदलकर मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 कर दी गई है।
9. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त के अतिरिक्त एजीएम नोटिस में कोई अन्य संशोधन नहीं है और इस परिशिष्ट को एजीएम नोटिस के अनुक्रम में और उसके साथ पढ़ा जाना चाहिए।

## व्याख्यात्मक वक्तव्य

निम्नलिखित व्याख्यात्मक वक्तव्य कंपनी की 22 अगस्त, 2025 की 55<sup>वीं</sup> वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सूचना से एजेंडा मद संख्या 5 को वापस लेने के कारणों को दर्शाता है।

कंपनी ने 55<sup>वीं</sup> वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 22 अगस्त, 2025 को एक सूचना जारी की है, जो सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को सुबह 11.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और लागू सेबी विनियमों के अनुपालन में, एजीएम सूचना 23 अगस्त, 2025 को विधिवत भेज दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि हडको भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सरकारी कंपनी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या ए-42012(12)/39/2017-एए सेक्शन-एमएचयूपीए (ई-9026701) दिनांक 26.08.2025 (ईमेल द्वारा दिनांक 02.09.2025 को प्राप्त) के अनुसरण में, श्री सोलोमन अरोकियाराज (डीआईएन:06802660), अपर सचिव (एफएम), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, 02.09.2025 से हडको के अंश-कालिक शासकीय निदेशक नहीं रहेंगे।

तदनुसार, उपरोक्त कारणों से, श्री सोलोमन अरोकियाराज (डीआईएन:06802660) की अंश-कालिक शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति से संबंधित वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) नोटिस की कार्यसूची मद संख्या 5 को वापस लिया जाता है और हडको की आगामी 55<sup>वीं</sup> वार्षिक सामान्य बैठक में इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ता./-

विकास गोयल

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 5 सितम्बर, 2025